झाँसी पुलिस

प्रेस नोट

थाना टोड़ी फतेहपुर,झाँसी

दिनांक- 15.11.2026

थाना टोड़ी फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण शांति भंग करने में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

कृपया अवगत कराना है कि थाना टोड़ी फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत अभि0- दीपक पुत्र अरूण कुमार उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम बड़वार थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी द्वारा स्वयं की पत्नी रिंकी के साथ मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत 141/26 धारा 115(2)/352/351(3) BNS पंजीकृत किया गया था। तथा अभि0 - रामसेवक श्रीवास पुत्र पंचमलाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0 मु0 बड़ागंज कस्बा व थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी द्वारा अपने भाई मनोहर पुत्र पंचम को गाली गलौज करने के सम्बन्ध सूचना प्राप्त हुई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री अरविन्द कुमार व क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री रत्नेश्वर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष टोड़ी फतेहपुर श्री पवन जायसवाल के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.11.2026 को अभि0-1- दीपक पुत्र अरूण कुमार उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम बड़वार थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी 2- रामसेवक श्रीवास पुत्र पंचमलाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0 मु0 बड़ागंज कस्बा व थाना टोड़ीफतेहपुर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 BNSS मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. दीपक पुत्र अरूण कुमार उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम बड़वार थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी
2. रामसेवक श्रीवास पुत्र पंचमलाल उम्र करीब 32 वर्ष नि0 मु0 बड़ागंज कस्बा व थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री पवन जायसवाल थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी
2. उ0नि0 नियाज खान थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी।
3- उ0नि0 भंवर सिंह थाना टोडीफतेहपुर जनपद झाँसी।
4- का0 1983 संजय कुमार रावत थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी।